Itanagar Capital Complex Administration

OFFICE OF THE EXTRA ASSTT. COMMISSIONER NAHARLAGUN -791110



NO.EAC-NLG/MISC-I/2019

Dated 22nd November 2019



TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that, Rural Development Society, is a registered NGO under Societies Registration Act vide Registration No.SR/ITA/349 Dated 28/02/1996, with its registered office at Barapani, PO & PS – Naharlagun, District- Papum Pare, Arunachal Pradesh. The society registration has been renewed up to 27th March 2022.

It is also certified that, Rural Development Society has not been blacklisted by any government department of Arunachal Pradesh.

(Ashok Tajo) APCS EAC cum Executive Magistrate Naharlagun Administrative Circle

> Extra Assistant Commissioner Transgar Capital Complex Naharlagun

Itanagar Capital Complex Administration

OFFICE OF THE EXTRA ASSTT. COMMISSIONER NAHARLAGUN -791110



NO.EAC-NLG/MISC-I/2019

Dated 22nd November 2019



TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that, Rural Development Society, is a registered NGO under Societies Registration Act vide Registration No.SR/ITA/349 Dated 28/02/1996, with its registered office at Barapani, PO & PS — Naharlagun, District- Papum Pare, Arunachal Pradesh. The society registration has been renewed up to 27th March 2022.

It is also certified that, Rural Development Society has not been blacklisted by any government department of Arunachal Pradesh.

(Ashok Tajo) APCS EAC cum Executive Magistrate Naharlagun Administrative Circle

> Extra Assistant Commissioner Tranagar Capital Complex Naharlagun

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, मुम्बई KHADI & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION MUMBAI



रवादी औ	र ग्रामोद्योग कमीशन, मुम्ब
KHADI & VIL	LAGE INDUSTRIES COMMISS MUMBAI
(EST	D. UNDER ACT LXI OF 1956)
(कानून ६१ सन् १९५६ द्वारा संस्थापित)
वस्र-स्वावलंबन	, सूती, उनी व रेशमी खादी तथा सरंजाम की उत्पत्ति
और खादी	, सरंजाम व ग्रामोद्योग वस्तुओं की बिक्री के लिए
	32 PP 87
	ATTE STATE OF THE
7.80	कामधे दुरकामानम् । प्राचित्वम् ३वर्डितस्यत्वम् ।
यह प्रमाण-पत्र	समय-समय वर निकाल आने वाले प्रमाण-पत्र संबंधी निय
अनुदेशों के अन्तर्गत कि सविधाओं को प्राप्त करने	या गया है। इस प्रमाण-पत्र से संस्था को रिचेट एवं अन्य ते का अधिकार स्थल, नहीं हो जाता है जब तक कि कमीश
अनुदेशों के अन्तर्गत कि सविधाओं को प्राप्त करने	या गया है। इस प्रमाण-पत्र से संस्था को रिचेट एवं अन्य ते का अधिकार स्थल, नहीं हो जाता है जब तक कि कमीश
अनुदेशों के अन्तर्गत कि सविधाओं को प्राप्त करने	या गया है। इस प्रमाण-पत्र से संस्था को रिचेट एवं अन्य ते का अधिकार स्थल, नहीं हो जाता है जब तक कि कमीश
अनुदेशों के अन्तर्गत कि सुविधाओं को प्राप्त करने संबंधित बोर्ड संस्था के उ प्रमाण-पत्र संख्या १. प्रमाण-पत्र चालू रहने	या गया है। इस प्रमाण-पत्र से संस्था को रिचेट एवं अन्य ो का अधिकार स्थतः नहीं हो जाता है जब तक कि कमीश त्यादन एवं विक्री के हाह्यांक की स्वीकृति न दें। ८) 180 ८६८ (१०) अधिक कार्यकर्ष क्रिक्ट की शिवल कि
अनुदेशों के अन्तर्गत कि सुविधाओं को प्राप्त करने संबंधित बोर्ड संस्था के उ प्रमाण-पन्न संख्या १. प्रमाण-पन्न चालू रहने (यदि बीच में ही रह न	या गया है। इस प्रमाण-पत्र से संस्था को रिघेट एवं अन्य है का अधिकार स्वतः नहीं हो जाता है जब तक कि कमीश त्यादन एवं विक्रों के लक्ष्योंक की स्वीकृति न दें। () 180 266 2003 180 - 200 - 200 180 - 200 200 200
अनुदेशों के अन्तर्गत किर सुविधाओं को प्राप्त करने संबंधित बोर्ड संस्था के उ प्रमाण-पत्र संख्या १. प्रमाण-पत्र चालू रहने (यदि बीच में ही रह न ३. प्रमाण-पत्र पाने वाले र	या गया है। इस प्रमाण-पत्र से संस्था को रिचेट एवं अन्य है का अधिकार स्थल: नहीं हो जाता है जब तक कि कभीश त्यादन एवं विद्या के हाइयांक की स्वीकृति न है। () 1800 दे हैं पर अधिकार कि क्या कि क्या कि अथिया दि. () 1800 दे हैं () () () () () () () () () () () () ()
अनुदेशों के अन्तर्गत कि सुविधाओं को प्राप्त करने संबंधित बोर्ड संस्था के उ प्रमाण-पन्न संख्या १. प्रमाण-पन्न चालू रहने (यदि बीच में ही रद्द न	या गया है। इस प्रमाण-पत्र से संस्था को रिचेट एवं अन्य है का अधिकार स्वतः नहीं हो जाता है जब तक कि कभीश त्यादन एवं विक्री के हाइयांक की स्वीकृति न दें। () 186 266 (2003) कि का कि स्वीकृति के वें। की अयथि दि. किया गया तो) दि.
अनुदेशों के अन्तर्गत किर सुविधाओं को प्राप्त करने संबंधित बोर्ड संस्था के उ प्रमाण-पत्र संख्या १. प्रमाण-पत्र चालू रहने (यदि बीच में ही रह न ३. प्रमाण-पत्र पाने वाले र	या गया है। इस प्रमाण-पत्र से संस्था को रिचेट एवं अन्य है का अधिकार स्थल: नहीं हो जाता है जब तक कि कभीश त्यादन एवं विद्या के हाइयांक की स्वीकृति न है। () 1800 दे हैं पर अधिकार कि क्या कि क्या कि अथिया दि. () 1800 दे हैं () () () () () () () () () () () () ()
अनुदेशों के अन्तर्गत किर सुविधाओं को प्राप्त करने संबंधित बोर्ड संस्था के उ प्रमाण-पत्र संख्या १. प्रमाण-पत्र चालू रहने (यदि बीच में ही रह न ३. प्रमाण-पत्र पाने वाले र	मा गया है। इस प्रमाण-पत्र से संस्था को रिचेट एवं अन्य के का अधिकार स्थल, नहीं हो जाता है जब तक कि कभीश त्यादन एवं विश्वती के हाइयांक की स्वीकृति न हैं। () 186 266 (2003) कि कार्यकर्म किर्यकर्म (1804) कि अधि दि. की अधिष दि. किया गया तो) दि. () 180 () 180 (1804) कि नाम (1804) कि का नाम (1804) कि का नाम (1804) कि का नाम (1804) कि का नाम (1804) के का नाम (1804) के का नाम (1804) की का नाम (1804) के का नाम (1804) के का नाम (1804) की का नाम (1804) के का नाम (1804) के का नाम (1804) की नाम (1804)
अनुदेशों के अन्तर्गत कि सुविधाओं को प्राप्त करने संबंधित बोर्ड संस्था के उ प्रमाण-पन्न संख्या रे. प्रमाण-पन्न चालू रहने (यदि बीच में ही रद्द न रे. प्रमाण-पन्न पाने वाले क और पूरा पता	या गया है। इस प्रमाण-पत्र से संस्था को रिचेट एवं अन्य ो का अधिकार स्वतः नहीं हो जाता है जब तक कि कभीश त्यादन एवं विक्री के हाह्यांक की स्वीकृति न हैं। () 1800 हर (1003) 1800 कार्रिक किया की शिक्ष के 1800 का 1800
अनुदेशों के अन्तर्गत कि सुविधाओं को प्राप्त करने संबंधित बोर्ड संस्था के उ प्रमाण-पन्न संख्या रे. प्रमाण-पन्न चालू रहने (यदि बीच में ही रद्द न रे. प्रमाण-पन्न पाने वाले क और पूरा पता	या गया है। इस प्रमाण-पत्र से संस्था को रिचेट एवं अन्य है का अधिकार स्वतः नहीं हो जाता है जब तक कि कभीश त्यादन एवं विद्या के हिस्तांक की स्वीकृति न हैं। () 18 दें दें दें पिए अधिक कर्य कि व्यक्ति हैं। की अयथि दि. किया गया तो) दि. शिक्ति विद्या है अप्रति विद्यार कि अधिक के विद्यार क
अनुदेशों के अन्तर्गत कि सुविधाओं को प्राप्त करने संबंधित बोर्ड संस्था के उ प्रमाण-पन्न संख्या रे. प्रमाण-पन्न चालू रहने (यदि बीच में ही रद न रे. प्रमाण-पन्न पाने वाले क और पूरा पता	या गया है। इस प्रमाण-पत्र से संस्था को रिचंद एवं अन्य के का अधिकार स्वतः नहीं हो जाता है जब तक कि कभीश त्यादन एवं विश्वति के हाह्यांक की स्वीकृति न हैं। () 180 दें दें पिए अधिक का कि स्वीकृति न हैं। की अथियि दि. किया गया तो) दि. शिक्या गया तो) दि. शिक्या भया तो भ्रिया भ्रम्या का दिल्ला हिल्ला है। शिक्या भया से स्वायलंबन सादी शिक्या भया से सादी
अनुदेशों के अन्तर्गत किर सुविधाओं को प्राप्त करने संबंधित बोर्ड संस्था के उ प्रमाण-पन्न संख्या रे. प्रमाण-पन्न चालू रहने (यदि बीच में ही रद न रे. प्रमाण-पन्न पाने वाले र और पूरा पता	गा गया है। इस प्रमाण-पत्र से संस्था को रिचेट एवं अन्य के का अधिकार स्वतः नहीं हो जाता है जब तक कि कभीश त्यादन एवं विश्वति वे हैं। का अधिकार कि कभीश की स्वीकृति न हैं। का अधिक कि क
अनुदेशों के अन्तर्गत किर सुविधाओं को प्राप्त करने संबंधित बोर्ड संस्था के उ प्रमाण-पत्र संख्या १. प्रमाण-पत्र चालू रहने (यदि बीच में ही रह न २. प्रमाण-पत्र पाने वाले व और पूरा पता ३. मुकरंग उत्पत्ति क्षेत्र :	या गया है। इस प्रमाण-पत्र से संस्था को रिचेट एवं अन्य के का अधिकार स्वतः नहीं हो जाता है जब तक कि कभीश त्यादन एवं विश्वति के हाइयांक की स्वीकृति न हैं। () 180 दें दें पिए अधिक का कि कि कि कमी शिक्षति न हैं। () 180 दें दें पिए अधिक का कि कि कि कि कि कि कि कि का विश्वति कि
अनुदेशों के अन्तर्गत किर सुविधाओं को प्राप्त करने संबंधित बोर्ड संस्था के उ प्रमाण-पन्न संख्या रे. प्रमाण-पन्न चालू रहने (यदि बीच में ही रद न रे. प्रमाण-पन्न पाने वाले र और पूरा पता	या गया है। इस प्रमाण-पत्र से संस्था को रिचेट एवं अन्य के का अधिकार स्वतः नहीं हो जाता है जब तक कि कभीश त्यादन एवं विश्वी के हाइयांक की स्वीकृति न हैं। () 180 दें दें पि प्राविधिक प्रकार कि प्रविकृति न हैं। () 180 दें दें पि प्रविधिक प्रकार कि प्रविकृति न हैं। () 180 दें दें पि प्रविधिक

OFFICE OF THE

COMMISSIONER OF INCOME TAX, GUWAHATI-I, GUWAHATI

SAIKIA COMMERCIAL COMPLEX, IST FLOOR, SREENAGAR, G.S.ROAD, GUWAHATI-781 005

ORDER UNDER SECTION 12AA OF THE I.T. ACT, 1961

Dated, Guwahati the 27th June, 2003

BURAL DEVELOPMENT SOCIETY, NAHARLAGUN as constituted by the Frust-Deed/Memorandum of Association dated 28.02.1996 has filed an application for registration under clause(a) of section 12A of the Income-tax Act, 1961 in the prescribed form on 25.04.2003. As the Frust/Institution was prevented by sufficient cause, in filing the application, the delay has been-condoned/not been condoned.

The application has been *entered at File No.1/12A/CIT/GHY-1/ TECH/2003-04 of the Register of Application under section 12A(a) of the Income-tax Act, 1961.

COMMISSIONER OF INCOME TAX.

Commissioner of Income-tax, Guwahati-I, Guwahati

Memo No.1/12A/CIT/GHY-1/TECH/2003-04/ 1/11/2-1/

Registration is allowed from 01,04,2003 /not allowed.

Dated: 27.06,2003

-20

Copy forwarded to:

The President, Rural Development Society, Naharlagun, Papum Pare, Aruncahal Pradesh.

2. The Income-tax Officer, Ward-North Lakhimpur.

The H./Addl.Commissioner of Income-tax, Tezpur Range, Tezpur.

NOTE:

 The Income of a Trust does not become exempt simply because the Trust is registered ws 12AA by the CIT, unless the conditions of section 11 are fulfilled and also unless the provision of section 13 does not operate adversely of the case.

 Section 12A constitute only an additional requirement to be fulfilled by Trust for getting exemption.

(D.K. Sen)

Income-tax Officer, Technical, for Commissioner of Income-tax, Guwahati-I, Guwahati. Form No. SR-2A

CERTIFICATE OF REGISTRATION UNDER THE SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1860 [AS MODIFIED BY THE SOCIETIES REGISTRATION (EXTENSION TO ARUNACHAL PRADESH) ACT, 1978]

(See section 3)

No. SR/ITA/349

This is to certify that "RURAL DEVELOPMENT SOCIETY" with its registered office at NAHARLAGUN under PAPUM PARE District of Arunachal Pradesh has been registered under Section 3 of Societies Registration Act, 1860 [As modified by Societies Registration (Extension to Arunachal Pradesh) Act, 1978].

The Society has been established for the promotion of various charitable programmes and activities.

This certificate is valid from 28th February' 1996 and is renewed upto 27th March' 2022 only subject to subsequent renewal.

Date: 28/03/2019

Seal.

(Higio Tala) APCS
Registrar of Societies
Govt. of Arunachal Pradesh
Itanagar

Registrar of Societies Govt. of Arunachal Pradesh Itanagar